


फर्द अहकाम

आलय उपखण्ड अधिकारी खोंगानेर

भौरी लाल बनाम राघारानी

मा संख्या / वर्ष 239/2020 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/3/24	<p>पञ्जावणी पेडा हुई वकील वादी छपण वकील वादी को प्रतिकारीण की तक्रवी जाये रजिस्टर्ड डाक तक्रवाण पेडा कते हेतु डि० 30/9/2020 को अडिभिल किश गया। वादी को पुनः आडिभिका दिनांक 13/1/21 को प्रतिकारी की तक्रवी हेतु तक्रवाण जाये रजिस्टर्ड डाक पेडा कते हेतु मिडिभिल किया। लेकिन वादी ने प्रतिकारी की तक्रवी हेतु आं दिनांक तक तक्रवाण पेडा नही किये। वादी को प्रतिकारी की तक्रवी हेतु रजिस्टर्ड डाक तक्रवाण पेडा करने हेतु लगभग 3 वर्ष तक समुचित अवसर प्रदान किये जाने उपरान्त भी वादी ने तक्रवी हेतु तक्रवाण पेडा नही किये। अतः वादी का वाद अन्तर्गत 03 R 5 CPC के तहत NON-Compliance मे स्वारिज किया जाना है। पञ्जावणी नम्बर से कम होकर काड तक्रवीक दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (खोंगानेर) </p>	<p style="text-align: right;"> का प्रतीक तावरी अथवा का प्रतीक </p>

